


बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
कार्यालय : नगर परिषद्, वारिसलीगंज (नवादा)

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या : 01/2025-26

(ई-टेंडरिंग द्वारा www.eproc2.bihar.gov.in)

1. विज्ञापन दाता का नाम एवं पता : नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद्, वारिसलीगंज, नवादा।
2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि : दिनांक : 18.07.2025
3. निविदा कागजात डाउनलोड प्रारम्भ करने की तिथि / समय : दिनांक : 11.08.2025 के 11:00 बजे से
(on website www.eproc2.bihar.gov.in)
4. प्री बीड मितिग का समय / स्थान / तिथि : समय - 11:30 बजे
स्थान - कार्यालय कक्ष, नगर परिषद्, वारिसलीगंज
दिनांक : 12.08.2025
5. निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि / समय : दिनांक : 19.08.2025 को 15:00 बजे तक
(on website www.eproc2.bihar.gov.in)
6. तकनीकी बीड खोलने की तिथि/समय / स्थान : दिनांक : 20.08.2025 के 15:30 बजे
स्थान - कार्यालय कक्ष, नगर परिषद्, वारिसलीगंज :
(on website www.eproc2.bihar.gov.in)
7. वितीय बीड खोलने की तिथि/समय / स्थान : तकनीकी बीड के निष्पादन के पश्चात्
8. अग्रधन, शपथ-पत्र Existing Commitment एवं अन्य कागजात (सभी मूल प्रति में) जमा करने की अंतिम तिथि/ समय एवं स्थान : दिनांक : 20.08.2025 को 15:00 बजे तक
स्थान-
 1. नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, वारिसलीगंज का कार्यालय।
 2. कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल, नवादा।
 3. अधीक्षण अभियंता, नगर विकास अंचल, मगध (गया)।



9. कार्य का विवरण :-

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में)	अग्रधन की राशि (रूपये में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (Through Online Payment) (रूपये में)	Bid Processing Fee (Through Online Payment) (अप्रत्यर्पणीय) (रूपये में)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर परिषद्, वारिसलीगंज क्षेत्रान्तर्गत 10 TPD WINDROW का निर्माण कार्य (05 वर्ष के संचालन व रख-रखाव के साथ)	85,76,000.00	1,71,600.00	10,000.00	As per Eproc2	9 माह

Note : Bidders should submit Bid Processing Fee through on-line Payment as per amount generated on website www.eproc2.bihar.gov.in

10. निविदा की वैधता अवधि -120 दिन
11. निविदा कागजात अपलोड करने से पूर्व संवेदक को "Bid Processing Fee" निम्न विधि से जमा करना होगा : .
 - i. "Bid Processing Fee" is mandatory to be paid through online mode i.e. Internet Payment Gateway (Credit / Debit Card), Net Banking, NEFT/ RTGS.
 - ii. "Bids along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement Portal www.eproc2.bihar.gov.in before the date and time specified in the NIT. The Department doesn't take any responsibility for the delay/ Non-Submission of Tender / Non-Reconciliation of Online Payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic / Holidays or any other reason."
12. कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय / राज्य सरकार / लोक उपक्रम में निबंधित हो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय स्तर के ही निविदा में भाग ले सकते हैं परन्तु उक्त कार्य का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्राप्त होने के बाद एवं एकरारनामा के पूर्व पथ निर्माण विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग में निबंधन कराना अनिवार्य होगा। यदि भवन का निर्माण कार्य होगा, तो भवन निर्माण कार्य का निबंधन ही मान्य होगा।
13. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in अथवा www.prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है अथवा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।
14. निविदा दाता को संलग्न RFP की शर्तों का अनुपालन तथा RFP संलग्न प्रपत्र के अनुरूप दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा। अतः निविदा दाता संलग्न RFP को अच्छी तरह से पढ़कर समझ लेगे। विभाग द्वारा Model RFP सभी नगर निकाय को उपलब्ध कराया गया है, जिसे कार्यालय से या www.eproc2.bihar.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
15. दो करोड़ से ऊपर की राशि की निविदा SBD (Standard Bid Documents) के माध्यम से की जाएगी।

16. ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेते हुए सवेदकों का ई-टेन्डरिंग के Service Provider के पास पंजीकृत होना होगा, जिससे कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User -Id), पासवर्ड (Password) एवं अंकीय हस्ताक्षर (Digital Signature) निर्गत की जायेगी। यह उन्हें www.eproc2.bihar.gov.in से डाउनलोड करने / ई-टेन्डर की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए योग्यता प्रदान करेगा। इसके लिए हेल्प डेस्क प्रथम तल एम/22 बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग रोड नम्बर-25, श्रीकृष्णा नगर, पटना – 800020, दूरभाष संख्या – 0612 2523006, मो0 संख्या – 7541028164 एवं E-mail Id-eproc2support@bihar.gov.in से सम्पर्क किया जा सकता है।
17. संवेदकों को कार्य स्थल, प्राक्कलन, क्वैरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादि की स्थिति, निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति से पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
18. (1) राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्थान में किसी भी श्रेणी में काली सूची में डाले गये अथवा कार्यों से वंचित (Debarred) संवेदक इस निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे। यदि वे जानबुझकर तथ्य छुपाते हुए निविदा डालते हैं तो सारी जिम्मेदारी उनकी होगी तथा उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जायेगी।
- (2) निविदा सूचना की अन्य शर्तों को पूरा करने के बाबजूद किसी संवेदक की दी गयी निविदा बिल्कुल ही मान्य नहीं होगी, यदि :-
- (क) संवेदक के द्वारा किसी निर्धारित प्रपत्र, विवरणी, शपथ पत्र या योग्यता प्रमाण पत्र के रूप में समर्पित किसी कागजात या दस्तावेज में गलत या गुमराह करने वाले तथ्य समर्पित किया गया हो।
- (ख) किसी संवेदक का कार्य निष्पादन का Record खराब रहा हो अर्थात्, उन्होंने आवंटित कार्य को अधूरा छोड़ दिया हो, संविदा के शर्तों के अनुसार सम्यक रूप से पूरा नहीं किया हो, पूर्व से आवंटित किसी कार्य को पूरा करने में गंभीर विलम्ब किया हो, विवाद का इतिहास हो, वित्तीय अक्षमता सिद्ध हुई हो या उनके पास पूर्व से आवंटित कार्य निर्धारित समय-सीमा के बाद भी पूरा करने हेतु लम्बित हो। तथ्यों को छुपाने की जबाबदेही उनकी होगी, क्योंकि उनके द्वारा समर्पित कागजात पर ही कार्यालय द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
- (3) पार्टनरशिप डीड में अंकित कोई पार्टनर कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक, सहयोग समिति एवं निबंधित संस्थाओं के पदधारक या इन पदों पर कार्य करने वाले पूर्व में ब्लैक लिस्टेड है तो वह फर्म / कम्पनी / सहयोग समिति / निबंधित संस्था निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
19. **परिमाण विपत्र का मूल्य**
उपर्युक्त निविदा परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक / अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो **कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, वारिसलीगंज** के पदनाम से वारिसलीगंज के बैंक में भुगतये हो, स्वीकार किया जायेगा। जो निविदा प्रकाशन की तिथि के बाद का होना चाहिए तथा निविदा करने के 48 घंटे के अन्दर संवेदक द्वारा कार्यालय में परिमाण विपत्र का मूल्य जमा किया जाना चाहिए। (As per www.eproc2.bihar.gov.in Guideline).
- (1) **अग्रधन**
- (क) अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार परिमाण विपत्र के 2 (दो) प्रतिशत की दर से अग्रधन की राशि देय होगी, जो ऑन लाईन मोड में देय होगी।
1. एक करोड से अधिक कार्य के लिए किसी राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक का बैंक गारन्टी अनुमान्य होगा।
- (ख) संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार की सूद, विभाग द्वारा देय नहीं होगा।
- (2) निविदा के समय जमा (अपलोड) किये जाने वाले कागजात स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए, जिसे स्वसत्यापित माना जायेगा।

- (क) बैद्य निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति।
 (ख) साक्षेदार फर्म/कम्पनी के मामलें में डीड एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की प्रति।
 (ग) पेन कार्ड की प्रति।
 (घ) G.S.T. निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति।
 (ड.) अध्यक्ष चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के आरक्षी अधीक्षक से निर्गत होना चाहिए, जो जिला के रूप में, निबंधन का पता में अंकित है।

(3) संवेदक के अधीन लम्बित (सभी जिला के सभी विभाग के अधीन) निविदा की तिथि को Existing Commitment कार्यों की राशि सहित सूची अपलोड करना है।

(4) घोषणा प्रमाण पत्र (मूल में)/ (शपथ पत्र मूल में) (अपलोड)

"मैं अघोहस्ताक्षरी (साफ-साफ बड़े अक्षरों में नाम)

सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री

शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि -

(क) मेरे / हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

(ख) मुझे /हमें किसी सरकारी /अर्द्ध सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा Debar, Black Listed एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर विखण्डित (Rescind) नहीं किया गया है।

(ग) मेरे /हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्राय है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमंडल में कनीय अभियंता/ सहायक अभियंता/ कार्यपालक अभियंता/ प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी/ लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।

(घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण पत्र, कागजात, विवरणी जाली एवं गलत नहीं है।

(ड.) संवेदक के पास (i) मिक्सर मशीन, (ii) नोजल भाईट्रेटर, (iii) सटरिंग प्लेट, (iv) वाटर टैंकर, (v) गुण नियंत्रण उपकरण तथा भवन निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु उपरोक्त क्रमांक (i) से (v) के साथ - साथ एलीभेटर एवं स्टेजिंग पाईप का भी होना आवश्यक है, जो स्वयं का होना चाहिए अथवा किराये पर लेने की स्थिति में संवेदक एवं स्वामी दोनों को लेने-देने का मूल शपथ पत्र एवं प्रमाण पत्र के रूप में उपकरण का स्वामित्व का कागजात एवं यंत्र-संयंत्र एवं गुण - नियंत्रण उपकरणों की स्वसत्यापित सूची भी अपलोड करना होगा, अन्यथा निविदा अमान्य कर दिया जाएगा।

उक्त यंत्र संयंत्र का भौतिक सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता के द्वारा किया जाएगा। इसका प्रतिवेदन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, वारिसलीगंज के द्वारा तकनीकी बीड/वित्तीय बीड के साथ समर्पित किया जाएगा। भौतिक सत्यापन निविदा के अनुसार नहीं होगा तो उनकी निविदा अमान्य कर दी जाएगी।

(च) बिटुमिनस पथ के कार्यों में प्रयुक्त होने वाले 60/70, 30/40, 80/100 Grade Packed बिटुमिन अथवा सामग्री जो लागू हो, के क्रय एवं आपूर्ति की व्यवस्था संवेदक को स्वयं अपनी लागत पर करनी होगी। जिसके लिए उन्हें विभाग से किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा। बिटुमिन का क्रय केवल राष्ट्रीयकृत तेल कम्पनियों से ही करना होगा तथा बिटुमिन क्रय के 48 घंटों के अन्दर कैंशमैमों संबंधित सहायक अभियंता के समकक्ष प्रस्तुत करते हुए अघोहस्ताक्षरी को भी सूचित करना होगा। साथ ही साथ 24 घंटों के अन्दर बिटुमिन की क्वालिटी का जाँच कराना होगा। B.M., SDBC कार्य के लिए Hot Mix Plant, Vibratory Roller, Static Roller, Paver Finisher, Fe loader, Tipper आवश्यक है, जो स्वयं अथवा किराये पर हो सकता है, परन्तु तत्संबंधी प्रमाणक एवं आवश्यक शपथ पत्र कंडिका (ग) के अनुरूप देना अनिवार्य होगा।

उपर्युक्त कण्डिका "क", "ख", "ग" एवं "घ" में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके उपर विधि-सम्मत कार्रवाई करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा। चूँकि संवेदकों का निबंधन नगर विकास एवं आवास

विभाग द्वारा नहीं हो रहा है। फलस्वरूप संवेदकों को बिहार PWD Code के बिहार टीकेदार निबंधन नियमावली -2007 के सुसंगत कंडिकाओं के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की जायेगी। यदि यह शर्त संवेदकों को मान्य होगा, तभी वे निविदा डालें।

- (छ) अनियोजित अभियंता निविदा देते समय कहाँ से/किस वर्ष (डिग्री/डिप्लोमा) पास किये है तथा वे अब तक अनियोजित है, से संबंधित शपथ-पत्र संलग्न करना होगा। निविदा/कार्य आवंटन की प्रक्रिया लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के साथ की जायेगी। अनियोजित अभियंता के मामले में आवंटित कार्य के विरुद्ध अग्रधन की राशि मात्र 1 (एक) प्रतिशत ली जाएगी, जिसमें बैंक गारण्टी भी अनुमान्य होगा। जमानत की शेष 9(नौ) प्रतिशत राशि उनके चालू विपत्र से कटौती की जाएगी।
- (ज) यह स्पष्ट है कि निविदा के सभी कागजात Website (www.eproc2.bihar.gov.in) पर अपलोड करना होगा, जो स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए।

(5) प्रतिशत दर निविदा

- (क) कार्य के परिमाण विपत्र की राशि से प्रतिशत के रूप में अधिक, बराबर या कम दर (अंक एवं शब्दों में) अंकित किया जाय। अंक एवं शब्द में अंकित दरों में विसंगति होने पर शब्द में अंकित दर की मान्यता दी जाएगी।
- (ख) कार्य के परिमाण विपत्र में अंकित राशि के नीचे निविदित दर दिये जाने पर प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक : 447(एस)/पटना, दिनांक : 16.01.2020 एवं ज्ञापांक : 449(एस)/पटना, दिनांक : 16.01.2020 के अनुसार एकरारनामा के समय अतिरिक्त Performance गारन्टी (Additional Performance Guarantee) देना होगा।
20. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
21. सक्षम प्राधिकार को बिना कोई कारण बताये निविदा के सभी/ किन्हीं कार्यों को या किसी कार्य के किन्हीं अंश/ अंशों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
22. निविदा निष्पादन
- (क). यदि निविदा की कण्डिका संख्या - 18 के अनुसार कोई भी कागजात नहीं रहेगा या अधुरा रहेगा तो उसके निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा।
- (ख). सफल न्यूनतम दर दाता संवेदक की निविदा आवश्यकतानुसार दर वार्ता के उपरान्त स्वीकार की जायेगी।
- (ग). निविदा में सफल एकाधिक संवेदकों से उद्धृत दर सामान्य होने पर लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉटरी) के आधार पर चयनित संवेदक के साथ ही यदि आवश्यकता हुई तो दर प्रक्रमण (दर वार्ता) किया जायेगा एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।

23. एकरारनामा

- (क). निविदा में सफल संवेदक को कार्य आवंटन की तिथि से 10 दिनों के अन्दर लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र F2 (कंडिका - 23 विलोपित) पर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ करना होगा।
- (ख). एकरारनामा करने के उपरान्त मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा।
- (ग). अविलम्ब कार्य स्थल पर कार्य से संबंधित सूचना पट उसकी आकार - प्रकार एवं उसमें भरे जाने वाले विवरण के संबंध में कार्य के प्रभारी अभियन्ता के निदेशों का पालन करना होगा।

अन्य शर्तें :-

उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त परिणाम विपत्र (B.O.Q) की राशि 50 लाख से अधिक होने की स्थिति में निविदादातों को निम्नांकित शर्तों का भी अनुपालन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जायेगी।

24. 50 लाख से अधिक की राशि का परिमाण विपत्र होने पर निविदादाताओं को एक वित्तीय बीड तथा एक तकनीकी बीड निविदा के साथ Upload करना होगा। तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का ही वित्तीय बीड खोला जाएगा। तकनीकी बीड में जो निविदाकार असफल होंगे उनका वित्तीय बीड नहीं खोला जाएगा।
25. 50 लाख के अधिक के निविदा में संवेदक द्वारा विगत तीन वर्षों में (निविदा तिथि के पूर्ववर्ती माह तक) किसी एक वर्ष निविदा मूल्य के समतुल्य भुगतान प्रमाण पत्र होना चाहिए अथवा निविदा मूल्य के एक तिहाई मूल्य के बराबर समरूप कार्य का भुगतान प्रमाण पत्र देना होगा जो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। जिसमें IT, ST, Royalty, Net Payment, Gross Payment होगा।
26. 50 लाख से अधिक मूल्य के निविदा में संवेदक को गुण नियंत्रण जाँच हेतु स्थलीय गुण नियंत्रण उपकरणों का स्वामित्व होना चाहिए अथवा किराये पर प्राप्त करने की स्थिति में किराये पर देने वाले एवं लेने वाले का मूल में शपथ पत्र अपलोड करना होगा। साथ ही गुण नियंत्रण / यंत्र – संयंत्र का स्वामित्व संबंधी कागजात भी अपलोड करना होगा।
27. 50 लाख से अधिक के मूल्य के निविदा में संवेदक के पास कम – से – कम एक डिप्लोमा (सिविल) एवं एक डिग्री (सिविल) अभियन्ता होना चाहिए। तत्संबंधी उनका शपथ पत्र एवं प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए। शपथ पत्र मूल में नियोजित एवं नियोजनकर्ता दोनों पक्षों का होना चाहिए। एक डिग्री – डिप्लोमा अभियन्ता भिन्न – भिन्न निविदाकार के यहाँ नियोजित माना जायेगा लेकिन यदि एक ही डिग्री-डिप्लोमा अभियन्ता भिन्न – भिन्न निविदाकारों के यहाँ नियोजन का शपथ-पत्र देंगे तो उनकी निविदा अमान्य कर दिया जायेगा।
28. (क). निविदा के निर्धारित अवधि के अन्तर्गत ही कार्य को पूरा करना होगा। विशेष परिस्थिति को छोड़कर अवधि विस्तार की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।
(ख). प्राक्कलित राशि घट-बढ़ सकती है तथा कार्य स्थल के अनुसार निरूपण में परिवर्तन किया जा सकता है।
29. कार्य समाप्ति की तिथि से संवेदकों को उनके कार्य में त्रुटि सुधार (Defect Liability Period) की बाध्यता कार्य समाप्ति की तिथि से 36 माह (तीन वर्ष) होगी। तत्पश्चात् कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही उनकी जमानत की राशि विमुक्त की जायेगी।
30. E-Tendering में कार्यालय द्वारा download करने में संलग्न अभिलेख यदि अपठनीय पाया जायेगा तो निविदा अमान्य किया जा सकता है।
31. तकनीकी बीड में निविदा का उतना ही कागजात संलग्न करें जितना निविदा शर्तों की कंडिकाओं में अंकित है। निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिकाओं को पूरी तरह समझने के लिए कार्यालय अवधि में निविदाकार कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, वारिसलीगंज से सम्पर्क कर सकते हैं।
32. पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक : 07 / नियम 01-02 / 2023, पटना, दिनांक : 10.01.2024 के सभी शर्तों का अनुपालन करना होगा।
33. In the unlikely event of the server for www.eproc2.bihar.gov.in being down for more than two consecutive hours (in the period from midnight to closing time for receipt of Tenders) on the last date of receiving of Bid, the last date of the same shall be extended by concerned authority only to the next working day till the last receiving time stipulated in the original NIT.
34. The Bidders are requested to check their file size of uploaded documents at the time of submission & they should ensure that work file is uploaded. If they feel that the complete file is not uploaded then they should click on cancel & update the same before submission. The Bidders should satisfy themselves of download ability / visibility of the scanned & uploaded file by them.


35. The Bidders must use MS Office-2003 version. File size should be less than 5 MB and should be in MS Word, MS Excel, PDF and JPEG Formats.
36. No claim shall be entertained on account of disruption of internet service being used by Bidders. Bidders are advised to upload their bids well in advance to avoid last minute technical snags.
37. In exceptional circumstances, the competent authority, UD & HD may solicit the Bidder's consent to an extension of the period of validity.
38. Bids that are rejected during the bid opening process shall not be considered for further evaluation, irrespective of the circumstances.
39. The Bidders shall submit their eligibility and qualification details, Technical Bid, Financial Bid etc. in the online standard formats given for respective Tenders in e-Procurement website (www.eproc2.bihar.gov.in) at the respective stages only. The Bidders shall upload the scanned copies of all the relevant certificates, documents etc. in supports of their eligibility criteria/ technical bids and other certificate/documents in the e-Procurement website. The Bidder shall sign on the supporting Statements, Documents, Certificates, uploaded by him, owning responsibility for their correctness / authenticity.
40. Corrigendum / Addendum, if any, will be published on the website itself.


41. अनियोजित अभियन्ता के लिए कर्णाकित कार्यो हेतु -


- (क). पथ निर्माण विभाग के प्र० - 6 / नियम -03-03/2001-1399(S), दिनांक : 31.01.2008 द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- (ख). शपथ पत्र मूल में देना होगा कि उन्होंने 3.50 करोड़ का कार्य से कम का कार्य अभी तक किया है।
- (ग). शपथ पत्र मूल में देना होगा कि किस वर्ष डिग्री/डिप्लोमा पास किया है तथा अब तक अनियोजित है।


प्रतिलिपि :

ज्ञापांक : 569....., दिनांक : 18-07-2025
 सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना / अधीक्षण अभियन्ता, नगर विकास अंचल, गया / कार्यपालक अभियन्ता, नगर विकास प्रमंडल, नवादा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।


 नगर कार्यपालक पदाधिकारी
 नगर परिषद् वारिसलीगंज, नवादा।


 नगर कार्यपालक पदाधिकारी
 नगर परिषद् वारिसलीगंज, नवादा।


 18.07.2025


 18.07.2025